

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/राज/सी/व्या/196/08/92

भोपाल, दिनांक 22/1/09

// आदेश //

शासकीय हाईस्कूल में पदोन्नति उपरांत हाईस्कूल प्राचार्य के पदों पर पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना होने के फलस्वरूप उन संस्थाओं में पूर्व से प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ एवं प्रतिनियुक्ति से सेवारत वापसी उपरांत व्याख्याता जिन्होंने अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दी है। इन निम्नांकित व्याख्याताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 5 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

स. क.	व्याख्याता का नाम	विषय	पूर्व पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री जी.पी. मुडिया	इतिहास	शास.हाईस्कूल बिलहरा नरसिंहपुर (कार्या. जि.शि.अ. नरसिंहपुर)	शास.उ.मा.वि. मुगावानी जिला नरसिंहपुर।
2.	श्री यू.एस.अहिरवार	हिन्दी	शास.हाईस्कूल इमलिया गोटेगांव (कार्या. जि.शि.अ. नरसिंहपुर)	शास.उ.मा.वि.बरहटा जिला नरसिंहपुर
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार वाघवा	रसायन	संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्र.1434 - 35, दिनांक 18.8.08 के सरल क्र.80 पर अंकित प्रकरण की पदस्थापना शास.बा.उ. मा.वि.पिपल्यास्टेशन मंदसौर में आंशिक संशोधन उपरांत।	शास.क.उ.मा.वि. पिपल्यास्टेशन मंदसौर
4.	श्री एस.बी.गोतम	भूगोल	शास.हाईस्कूल पटाडिया धाकड राजगढ (कार्या.जि.शि.अ.जिला राजगढ)	शास.उ.मा.वि.करनवास जिला राजगढ
5.	श्री मोहनलाल जोहिया	हिन्दी	शास हाईस्कूल लिम्बोडा (कार्या.जि.शि.अ.जिला राजगढ)	शास.कन्या.उ.मा.वि.खुजनेर जिला राजगढ
6	श्री अमरनाथ शुक्ला	जीव विज्ञान	शास.हाईस्कूल किलामैदान इन्दौर (कार्या.जि.शि.अ. इन्दौर)	शास.उ.मा.वि.मानपुर महू इन्दौर
7	डॉ. के.के. मिश्रा	गणित	शास.हाईस्कूल क. हातोद (कार्या.जि.शि.अ. इन्दौर)	शास.उ.मा.वि.गवली पलासिया महू जिला इन्दौर

8	श्री सतीश चन्द्र जोशी	रसायन	शास.हाईस्कूल पेडमी (कार्या.जि.शि.अ. इन्दौर)	शास.उ.मा.वि.गौतमपुरा देपालपुर जिला इन्दौर ।
9	श्री सूरत राम लहरौटिया	जीव विज्ञान	शास.हाईस्कूल गोदन दतिया (कार्या.जि.शि.अ. दतिया)	शास.उ.मा.वि.क्र-2 दतिया जिला दतिया
10	श्री बी.एल.अहिरवार	हिन्दी	शास.हाईस्कूल बूधेडा (कार्या.जि.शि.अ. दतिया)	शास.उ.मा.वि.क्र-2 दतिया जिला दतिया
11	श्री आर.पी.मिश्रा	गणित	शास.हाई स्कूल निटरा जिला कटनी (कार्या.जि.शि.अ. कटनी)	शास.उ.मा.वि.एन.के.जे. कटनी


"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22/1/09

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/राज/सी/व्या/196/08/33
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, विभाग म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला नरसिंहपुर, मंदसौर, राजगढ, इन्दौर, दतिया, कटनी म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर/उज्जैन/इन्दौर/ग्वालियर म.प्र.
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला नरसिंहपुर, मंदसौर, राजगढ, इन्दौर, दतिया, कटनी म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर, मंदसौर, राजगढ, इन्दौर, दतिया, कटनी की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि संबंधित लोक सेवक स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा नवीन पदस्थापना स्थल पर विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के कियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
7. संबंधित संस्था प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

कमांक स्था.2/राज/सी/व्या/ 02/09/ 94


भोपाल,दिनांक 22/1/09

// आदेश //

शासकीय हाईस्कूल में पदोन्नति उपरांत हाईस्कूल प्राचार्य के पदों पर पूर्णकालीक प्राचार्य की पदस्थापना होने के फलस्वरूप उन संस्थाओं में पूर्व से प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदस्थ व्याख्याता एवं प्रतिनियुक्ति से सेवार्ये वापसी उपरांत जिन्होंने अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय/संचालनालय में दी हैं । इन निम्नांकित व्याख्याताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम क्रमांक 5 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता हैं ।

स. क.	व्याख्याता का नाम	विषय	पूर्व पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्री आर.एस.याज्ञिक	अंग्रेजी	प्र.प्राचार्य शास.हाईस्कूल बहादूरपुर (वर्तमान उपस्थिति कार्या.जि.शि.अ. ग्वालियर)	शास.उ.मा.वि.कन्या गजराजा ग्वालियर ।
2.	श्रीमती नीलम शाक्य	जीव विज्ञान	प्र. प्राचार्य शास.हाईस्कूल सूपावली (वर्तमान उपस्थिति कार्या. जि.शि.अ. ग्वालियर)	शास.उ.मा.वि.जनकगंज ग्वालियर ।
3.	श्री ए.के. पाठक	अंग्रेजी	केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर (वर्तमान उपस्थिति कार्या. जि.शि.अ. ग्वालियर)	शास.उ.मा.वि.बिलोआ ग्वालियर
4.	श्री चंद्रकान्त पालीवाल	गणित	विकास-खण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र बागली जिला देवास (प्रतिनियुक्ति से सेवा वापसी उपरांत वर्तमान उपस्थिति जि.शि.अ.कार्या. देवास)	शास.उ.मा.वि.बाणरंगा इन्दौर ।
5.	श्री श्रीप्रकाश विजयवर्गीय	रसायन	म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल से प्रतिनियुक्ति से सेवार्ये वापसी उपरांत (वर्तमान उपस्थिति लो.शि. संचालनालय)	शास.उ.मा.वि. आनंदनगर भोपाल

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


आयुक्त,


लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 22/1/09

पृष्ठा. कमांक स्था.2/राज/सी/व्या/02/09/ 95
प्रतिलिपि-

- 1 निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा,विभाग म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
- 2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 3 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल ।
- 4 कलेक्टर जिला ग्वालियर/देवास/इन्दौर /भोपाल म.प्र. ।
- 5 संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल ।
- 6 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय ग्वालियर/उज्जैन/इन्दौर/भोपाल म.प्र.

7. जिला कोषालय अधिकारी जिला ग्वालियर/देवास/इन्दौर/भोपाल म.प्र।
8. जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर/देवास/इन्दौर/भोपाल की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि संबंधित लोक सेवक स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा नवीन पदस्थापना स्थल पर विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



अभ्युक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश